

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 80/2025

गीता देवी पत्नी नारायण राम जाति जाट निवासी वार्ड सं. 26 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
—वादीया

बनाम

बनवारीलाल पुत्र रेडा राम जाति निवासी वार्ड सं. 26 संगरिया, तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
—प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष
इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री
जय धारणियां वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व
निम्नानुसार डिक्री दी जाती है:- वादीया का खाता निम्नानुसार अलग कायम कर राजस्व रिकार्ड में
अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:- वादीया गीता देवी पत्नी नारायण राम जाति जाट
निवासी वार्ड नं. 26 संगरिया के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता संख्या 80/55

187/183	31	19/0.114 है. किला नं. 20 के चिपता, 19/0.114 है. किला नं. 18 के चिपता, 22/0.114 है. किला नं. 21 के चिपता 22/0.114 है. किला नं. 23 के चिपता कुल 0.456 है. नहरी कृषि भूमि
---------	----	--

नोट :- प्रतिवादी सं. बनवारी लाल पुत्र रेडा राम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 26 संगरिया के कब्जा
काश्त की भूमि चक 3 आरटीपी द्वितीय के खाता संख्या 80/55 प.न. 187/31 मु.न.
19/0.025 है. गै.मु. रास्ता, किला नं. 22/0.025 है. गै.मु. रास्ता उक्त दोनो किलो के मध्य में
से दक्षिण से उत्तर किला नं. 12 में प्रवेश हेतु इनकी सहमति पर रास्ता स्वीकृत किया
जाकर गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट :- यदि प्रश्नगत आराजी बैंक रहन है तो ऋण यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान
अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के

मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4.8.2022 को जारी किया

गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया